राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0विनि0)/2021– 876 दिनांक 18·2·2021

1. समस्त उप निदेशक(प्रशा0/विप0)
   मण्डी परिषद,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सभापति/सचिव,
   कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ,
   उत्तर प्रदेश।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 के मद संख्या–9 में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
9	उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित)" के विनियम–3(21),4(ब) एवं 4(ध),5(1),5(2),5(5),11(1),11(3),12(3) में संशोधन एवं विनियम–12 के उप विनियम (4) के नीचे उप विनियम (5) बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में "उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित)" में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

1. **विनियम–3 परिभाषायें में संशोधन**– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम–21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप विनियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उपविनियम–21**	**स्तम्भ–2** **संशोधित उप विनियम–21**
"मण्डी शुल्क" का तात्पर्य मण्डी अधिनियम की धारा–17(3)(ख) के अन्तर्गत लिये जाने वाले शुल्क से है।	**(क) "मण्डी शुल्क"** का तात्पर्य मण्डी अधिनियम की धारा–17(3)(ख) के अन्तर्गत लिये जाने वाले शुल्क से है। **(ख)** "प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज)" का तात्पर्य गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी परिसर के अन्दर व्यापारिक कार्य के लिए उपयोग किये जाने के एवज में लिये जाने वाला प्रभार से है।

2. **विनियम–4 नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता में संशोधन**– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम–4(ब) एवं 4 (ध) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उपविनियम**	**स्तम्भ–2** **संशोधित उप विनियम**
विनियम–4(ब)	**विनियम–4(ब)**
आवेदक मण्डी समिति का लाईसैंसी हो।	आवेदक मण्डी समिति का लाईसेंसी अथवा अधिसूचित एवं गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन कार्य हेतु पंजीकृत व्यापारी हो।

विनियम–4(ध)						विनियम–4(ध)					
मण्डी स्थल की विभिन्न श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणीवार पात्रता का निर्धारण, लाइसेन्सधारी व्यापारियों द्वारा विगत तीन वर्ष में जमा किये गये मण्डी शुल्क के औसत अथवा टर्नओवर की मात्रा के आधार पर निम्नवत् होगी:–						मण्डी स्थल की विभिन्न श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणीवार पात्रता का निर्धारण विगत तीन वर्ष में लाइसेन्सधारी व्यापारियों द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क अथवा लाईसेंसी/गैर लाईसेंसी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर लिए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) के औसत अथवा टर्नओवर की मात्रा के आधार पर निम्नवत् होगी:–					
गल्ला मण्डी			फल मण्डी			गल्ला मण्डी			फल मण्डी		
1.	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1.	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1.	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1.	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा यूजर चार्ज जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी
2.	रू0 40 हजार से 80 हजार औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो	'ब' श्रेणी	2.	रू0 20 हजार से अधिक परन्तु 40 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से कम एवं 10 लाख	'ब' श्रेणी	2.	रू0 40 हजार से 80 हजार औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो।	'ब' श्रेणी	2.	रू0 20 हजार से अधिक परन्तु 40 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा यूजर चार्ज जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से कम	'ब' श्रेणी

				से अधिक।						एवं 10 लाख से अधिक हो।	
3.	रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 25 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3.	रू0 20 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3.	रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 25 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3.	रू0 20 हजार औसत मण्डी शुल्क या यूजर चार्ज से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी
परन्तु यदि किसी लाईसेन्सी द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि में व्यवसाय किया गया है तो उसके द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क को पात्रता निर्धारण हेतु तीन से विभाजित करके औसत की गणना की जाएगी।						परन्तु– (क) यदि किसी लाईसेन्सी द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि में कार्य किया गया है तो उसके द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) को पात्रता निर्धारण हेतु तीन से विभाजित करके औसत की गणना की जाएगी। (ख) गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का कार्य करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिये यह गणना तीन वर्ष यथा–वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के लिए निर्धारित कार्यावधि के अनुसार औसत निकालते हुए की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के उपरान्त यह गणना तीन वर्ष के औसत के आधार पर की जाएगी। ऐसे पंजीकृत व्यापारियों को आवंटन के पश्चात मण्डी का लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।				

3. विनियम–5 दुकान/गोदाम का नीलामी हेतु न्यूनतम प्रीमियम में संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम–5(1), 5(2) एवं 5(5) के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उपविनियम**	**स्तम्भ–2** **संशोधित उप विनियम**
विनियम–5(1)	**विनियम–5(1)**
'क' विशिष्ट, 'क' तथा 'ख' श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल के लिये दुकान/गोदाम के निर्माण की वास्तविक लागत तथा उसमें प्रयुक्त भूमि का मूल्य नीलामी के वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) सिविल द्वारा आंकलित धनराशि के बराबर न्यूनतम प्रीमियम धनराशि होगी।	'क' विशिष्ट तथा 'क' श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल के लिये दुकान/गोदाम की निर्माण लागत के बराबर धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।
विनियम–5(2)	**विनियम–5(2)**
"ग" श्रेणी की मण्डियों एवं समस्त उप मण्डियों के	'ख' तथा 'ग' श्रेणी की मण्डियों तथा समस्त उप मण्डी

लिए निर्माण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत तथा उसमें प्रयुक्त भूमि का मूल्य नीलामी के वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य का 50 प्रतिशत के अनुसार सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) सिविल द्वारा आंकलित धनराशि दुकान/गोदाम हेतु न्यूनतम प्रीमियम धनराशि होगी।	स्थलों के लिये दुकान/गोदाम की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।
विनियम–5(5)	**विनियम–5(5)**
जिलाधिकारी, न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर बढ़ा सकेंगे परन्तु यदि निर्धारित नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तो आवंटन स्थगित कर पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके दोबारा नीलामी करायी जायेगी। इस प्रकार यदि तीन बार न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तब मण्डी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि में 25 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवंटन कार्यवाही नीलामी के माध्यम से की जाएगी। तीन बार न्यूनतम प्रीमियम पर बोली न आने पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि को 25 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान करने एवं इसके उपरान्त तीन बार की नीलामी में भी संशोधित न्यूनतम प्रीमियम पर बोली न आने पर मण्डी समिति के प्रस्ताव और जिलाधिकारी की संस्तुति के आलोक में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम् 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद अधिकृत होंगे।	जिलाधिकारी, न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि को स्थानीय परिस्थितियों यथा सर्किल रेट, व्यापारिक सम्भावनाओं, प्रतियोगिता की सम्भावना आदि के दृष्टिगत 100 प्रतिशत तक बढ़ा सकेंगे। न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि इससे अधिक बढाये जाने का अनुमोदन मण्डी निदेशक से प्राप्त कर सकेगें। परन्तु यदि निर्धारित नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तो आवंटन स्थगित कर पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके दोबारा नीलामी करायी जायेगी। इस प्रकार यदि तीन बार न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तब मण्डी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि में 25 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवंटन कार्यवाही नीलामी के माध्यम से की जाएगी। तीन बार न्यूनतम प्रीमियम पर बोली न आने पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि को 25 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान करने एवं इसके उपरान्त तीन बार की नीलामी में भी संशोधित न्यूनतम प्रीमियम पर बोली न आने पर मण्डी समिति के प्रस्ताव और जिलाधिकारी की संस्तुति के आलोक में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम् 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद अधिकृत होंगे।

4. **विनियम–11 आवंटन की अन्य आपवादिक व्यवस्थाएं का संशोधन**–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम–11(1) एवं 11(3) के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप विनियम**	**स्तम्भ–2** **संशोधित उप विनियम**
विनियम 11(1)	**विनियम 11(1)**
भारत सरकार, राज्य सरकार के सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) को उनकी माँग पर, दुकान/गोदाम/अन्य छायादार या खुला स्थान उपलब्ध होने पर बिना नीलामी के, उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा आंवंटित किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें कोई प्रीमियम की धनराशि नहीं देनी होगी, किन्तु यूजर चार्ज/किराया अग्रिम मासिक के रूप से देय होगा। यूजर चार्ज/किराया का निर्धारण समय–समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।	भारत सरकार, राज्य सरकार के सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0), कृषक उत्पादक कम्पनी (एफ0पी0सी0) एवं एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) की योजना के अन्तर्गत दुकान/गोदाम /अन्य छायादार या खुला स्थान उपलब्ध होने पर बिना नीलामी के, उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा आंवंटित किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें कोई प्रीमियम की धनराशि नहीं देनी होगी, किन्तु यूजर चार्ज/किराया अग्रिम मासिक के रूप से देय होगा। यूजर चार्ज/किराया का निर्धारण समय–समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। परन्तु उक्त के अन्तर्गत आवंटन प्रक्रिया के लिए निर्धारित की जाने वाली दुकानों की संख्या मण्डी परिसर में स्थित सभी श्रेणी की दुकानों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विनियम 11(3)	विनियम 11(3)
कृषक सेवा केन्द्रः–मांग के अनुसार कृषक सेवा केन्द्र का आवंटन पी0सी0एफ0, यू0पी0एग्रो, इफको, खुशहाली जैसी संस्थाओं को कृषि निवेश सामग्री (यथा खाद्य, उर्वरक बीज, दवाएं उपकरण आदि) तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा, जिसका मासिक यूजर चार्ज/किराया प्रथम पॉच वर्षो के लिए रू0 5,000.00 (रू0 पॉच हजार) प्रतिमाह होगा तदोपरान्त किराये में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से यूजर चार्ज में वृद्वि की जायेगी। इस आवंटन की अवधि 11 माह की होगी जो संस्था द्वारा प्रदत्त कृषक सुविधा को देखते हुए सम्बन्धित उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।	**कृषक सेवा केन्द्रः**–मांग के अनुसार कृषक सेवा केन्द्र का आवंटन पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, इफको, खुशहाली आदि, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) तथा कृषक उत्पादक कम्पनी (एफ0पी0सी0) जैसी संस्थाओं को कृषि निवेश सामग्री (यथा खाद्य, उर्वरक बीज, दवाएं उपकरण आदि) तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मण्डी समिति के प्रस्ताव के आधार पर निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा, जिसका मासिक यूजर चार्ज/किराया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट एवं निर्माण लागत को जोड़कर उसका 03 प्रतिशत अथवा रू0 25.000.00 (रू0 पच्चीस हजार) प्रतिमाह,जो भी कम हो, होगा। तदोपरान्त किराये में 03 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष यूजर चार्ज/किराया में वृद्धि की जायेगी। इस आवंटन की अवधि 11 माह की होगी जो संस्था द्वारा प्रदत्त कृषक सुविधा को देखते हुए सम्बन्धित उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

5. विनियम–12 खुले स्थान का उपयोग का संशोधन–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम–12(3) के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप विनियम**	**स्तम्भ–2** **संशोधित उप विनियम**
विनियम 12(1)	**विनियम 12(1)**
सार्वजनिक उपयोग के स्थान यथा नीलामी चबूतरा एवं उसके आस–पास का भाग, पार्किंग, सड़क एवं सड़क से संलग्न स्थान,शौचालय, विश्रामगृह आदि किसी भी दशा में किसी भी व्यापारी अथवा लाईसेन्सी को आवंटित नहीं किये जायेंगे। इसका उल्लघंन सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कदाचार माना जायेगा एवं तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी।	**यथावत**
विनियम 12(2)	**विनियम 12(2)**
भूमि या खुले स्थान का आवंटन किसी विशिष्ट लाइसेंसी/व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, अपितु इसे सामूहिक प्रयोग के लिए मण्डी समिति द्वारा चिन्हित किया जाएगा तथा ऐसे लाइसेंसियों के प्रयोग हेतु 11 माह के लिए आरक्षित किया जा सकेगा, जिनके लाइसेंस बनने के उपरान्त उन्हें दुकानें प्राप्त नहीं हो सकी हैं। उक्त हेतु जिलाधिकारी की संस्तुति पर मण्डी निदेशक की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। इस चिन्हांकित स्थान पर कोई व्यक्ति/लाइसेंसी अपना कब्जा नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं किया जायेगा।	**यथावत**
विनियम 12(3)	**विनियम 12(3)**
जिन लाइसेन्सियों द्वारा उक्त रिक्त भूमि का उपयोग किया जाएगा उनसे चिन्हित भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दर से आगणित कुल मूल्य का 1.5 प्रतिशत अग्रिम रूप से यूजर चार्ज लिया जाएगा।	जिन लाइसेन्सियों द्वारा उक्त रिक्त भूमि का उपयोग किया जाएगा उनसे चिन्हित भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दर से आगणित कुल मूल्य का 2 प्रतिशत अग्रिम रूप से यूजर चार्ज लिया जाएगा।

विनियम 12(4)	विनियम 12(4)
दुकानें उपलब्ध होने पर रिक्त भूमि पर कार्यरत लाइसेन्सी को नीलामी में भाग लेना अनिवार्य होगा और दुकान आवंटित हो जाने पर उक्त स्थान को रिक्त करना होगा। यदि किसी लाइसेन्सी को दुकान आवंटित नहीं होती है तो रिक्त स्थान के उपयोग की अवधि आवश्यकतानुसार 11–11 माह के लिए बढाये जाने पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसा न किये जाने पर सम्बन्धित का लाइसेन्सी का लाइसेन्स निरस्त करते हुए उक्त स्थान को रिक्त करा लिया जाएगा।	यथावत
उक्त विनियमावली में उप विनियम–12(4) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम (5) बढ़ा दिया जाएगा – उप विनियम 12(5)–जिन मण्डी स्थलों में रिक्त भूमि पर पूर्व में आवंटन किये गये हैं वे विनियमावली में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से विनियम–12 के अधीन माने जाएंगे।	

अतएव् मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गए निर्णयानुपालन में उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित) में उपरोक्तानुसार संशोधित विनियम/उपविनियमों के अनुसार निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें, शेष विनियम एवं व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

18.02.2021

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2. वित्त यिंत्रक,मण्डी परिषद,उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता,ग्रेड–2,मण्डी परिषद,मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक(निर्माण/वि0यां0) मण्डी परिषद,उ0प्र0
5. विशेष कार्याधिकारी(विधि) मण्डी परिषद,मुख्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट,मण्डी परिषद,मुख्यालय को मण्डी परिषद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

विनियम 12(4)	विनियम 12(4)
दुकानें उपलब्ध होने पर रिक्त भूमि पर कार्यरत लाइसेन्सी को नीलामी में भाग लेना अनिवार्य होगा और दुकान आवंटित हो जाने पर उक्त स्थान को रिक्त करना होगा। यदि किसी लाइसेन्सी को दुकान आवंटित नहीं होती है तो रिक्त स्थान के उपयोग की अवधि आवश्यकतानुसार 11–11 माह के लिए बढाये जाने पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसा न किये जाने पर सम्बन्धित का लाइसेन्सी का लाइसेन्स निरस्त करते हुए उक्त स्थान को रिक्त करा लिया जाएगा।	**यथावत**
उक्त विनियमावली में उप विनियम–12(4) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम (5) बढ़ा दिया जाएगा – उप विनियम 12(5)–जिन मण्डी स्थलों में रिक्त भूमि पर पूर्व में आवंटन किये गये हैं वे विनियमावली में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से विनियम–12 के अधीन माने जाएंगे।	

अतएव् मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गए निर्णयानुपालन में उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016 (यथा संशोधित) में उपरोक्तानुसार संशोधित विनियम/उपविनियमों के अनुसार निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें, शेष विनियम एवं व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2. वित्त यिंत्रक,मण्डी परिषद,उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता,ग्रेड–2,मण्डी परिषद,मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक(निर्माण/वि0यां0) मण्डी परिषद,उ0प्र0
5. विशेष कार्याधिकारी(विधि) मण्डी परिषद,मुख्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट,मण्डी परिषद,मुख्यालय को मण्डी परिषद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

18/4/2024

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक (प्रशासन)